

# DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 205149231122040033


Date : 23-11-2022

प्रभावी : द्वितीय तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री **BINITA KUMARI C/O AMIT KUMAR GUPTA**,  
मोहल्ला **SABALPUR DHANBAD**  
DHANBAD, 826001  
8340182984

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0230007140000M0 वार्ड सं 23 हुआ है, आपके स्व निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु\* निर्धारित किया गया है।  
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं*	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	125.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		125.00



नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, [suda.jharkhand.gov.in](http://suda.jharkhand.gov.in) पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडीका 11.4 के अंतर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा।  
हितगत टी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण प्रति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदारा की 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय प्रति को निर्दिष्ट समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाना जाता है, तो 1% प्रतिशत की दर से संचायन ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समय निगम कर सकती है एवं तमय गतत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित सजा (Fine) एवं और राशि देय होगा।
- DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इम्पॉजिट/दंडों को कोई कानूनी हेमियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दलसकल को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये इंडेंटिंग नम्बर का आडिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विभिन्न संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत मान्य जायेगा।

**NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.**